रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11, 1971/भाद्र 20, 1893

No. 475] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11, 1971/BHADRA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 6th September 1971

S.O. 3401.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Burn and Company Limited, Salem, (ii) Messrs Dalmia Magnesite Corporation, Salem and (iii) Messrs Salem Magnesite (Private) Limited, Salem and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru K. Seetharama Rao, as Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen for revision of the existing rates of wages and Dearness Allowance is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-29011/24/71-LR-IV.]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 6 सितम्बर, 1971

का० आ० 3401.—यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, सालेम (ii) मैसर्स डालमिया मैग्नेसाइट कारपोरेशन, सालेम और (iii) मैसर्स सालेम मैग्नैसाइट (प्राइवेट) लिमिटेड, सालेम के प्रबन्धमंडल से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत :, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री थीरु के० सीथारामा राव, होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कर्मकरों की मजदूरी और महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों को संशोधित करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?"

[सं० एल० 29011/24/71-एल० आर०4]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 10th September 1971

S.O. 3402.—Whereas by an Order of the Government of India in the Minstry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29011/24/71-LR-IV, dated the 6th September, 1971; an industrial dispute between the management of Messrs. Burn and Company Limited, Salem, (ii) Messrs Dalmia Magnesite Corporation, Salem and (iii) Messrs Salem Magnesite (Private) Limited, Salem and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal, Madras for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibts the continuance of the strike in existence in the said establishments in connection with the said dispute.

[No. L-29011/24/71-LR-IV.]

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1971

का० आ० 3402.—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल०/29011/24/71-एल०आर० IV तारीख 6 सितम्बर, 1971 द्वारा

मैसर्स बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, सालेम, (ii) मैसर्स डालमिया मैग्नेसाइट कारपोरेशन, सालेम और (iii) मैसर्स सालेम मैग्नेसाइट (प्राइवेट) लिमिटेड, सालेम के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकरों के बीच एक औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण, मद्रास को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया गया है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापनों में उक्त विवाद के सम्बन्ध में विद्यमान हड़ताल के जारी रखने को एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है ।

[संख्या एल० 29011/24/71-एल० आर०-4]

आर० आनन्द कृष्ण, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971